



## **The Madhya Pradesh Rajya Uchcha Shiksha Parishad Act, 2018**

Act 25 of 2018

**Keyword(s):**

Abhiyan, Degree, Diploma, Higher Education

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 420]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 जुलाई 2018—श्रावण 6, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्र. 12533-255-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जुलाई 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २५ सन् २०१८

## मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, २०१८

## विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. परिषद् का गठन.
४. परिषद् की संरचना.
५. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें.
६. परिषद् से सम्मिलन.
७. परिषद् के कर्मचारिवृंद.
८. परिषद् के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणीकरण.
९. परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
१०. परिषद् की निधि.
११. वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा.
१२. वार्षिक वित्तीय विवरणी.
१३. वार्षिक प्रतिवेदन.
१४. जांच.
१५. निरर्हता.
१६. रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.
१७. सरकार द्वारा निदेश.
१८. नियम बनाने की शक्ति.
१९. विनियम बनाने की शक्ति.
२०. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
२१. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २५ सन् २०१८

**मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, २०१८**

[ दिनांक २३ जुलाई, २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २८ जुलाई, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

राज्य में उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देने के लिये मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का गठन करने और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, २०१८ है.

संक्षिप्त नाम. विस्तार तथा प्रारंभ.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं.

(क) "अभियान" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान;

(ख) "केन्द्र सरकार" से अभिप्रेत है, भारत सरकार;

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का अध्यक्ष;

(घ) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, राज्य में के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध या सहयुक्त या मान्यताप्राप्त कोई महाविद्यालय जिसमें सम्मिलित हैं, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक महाविद्यालय तथा मध्यप्रदेश शासन के किसी भी विभाग के अधीन निजी क्षेत्र में स्थापित समस्त महाविद्यालय;

(ङ) "परिषद्" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्;

(च) "उपाधि" से अभिप्रेत है, कला, वाणिज्य, विज्ञान, प्राच्य भाषा, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी विधि में उपाधि या कोई ऐसी अन्य उपाधि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यताप्राप्त, राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई हो;

(छ) "विभाग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन का कोई विभाग;

(ज) "उपाधि पत्र" से अभिप्रेत है, दसवीं या बारहवीं कक्षा के पश्चात् का कोई अध्ययन पाठ्यक्रम जिसके लिए उपाधि पत्र प्रदान किया जाता हो, परंतु इसमें प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम सम्मिलित नहीं है;

(झ) "संचालनालय अथवा परियोजना संचालनालय" से अभिप्रेत है, अभियान के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित राज्य परियोजना संचालनालय;

(ञ) "शैक्षणिक संस्था" से अभिप्रेत है, उच्च शिक्षा एवं गवेषणा हेतु शैक्षणिक संस्था.

(ट) "शिक्षाविद्" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के कार्यरत या सेवानिवृत्त आचार्य, महाविद्यालय का प्राचार्य, विश्वविद्यालय का कुलपति या किसी राष्ट्रीय स्तर की संस्था के निदेशक जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो;

- (ठ) “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (ड) “उच्च शिक्षा” से अभिप्रेत है, किसी उपाधि या उपाधिपत्र हेतु बारहवीं कक्षा से ऊपर की प्रत्येक शिक्षा;
- (ढ) “सदस्य” से अभिप्रेत है, परिषद् का सदस्य;
- (ण) “अधिसूचना” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना तथा शब्द “अधिसूचित” का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (त) “अधिकारी” से अभिप्रेत है, केन्द्र अथवा राज्य सरकार का अधिकारी;
- (थ) “विहित” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (द) “परियोजना संचालक या अपर परियोजना संचालक” से अभिप्रेत है, अभियान के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा नियुक्त राज्य परियोजना संचालक अथवा अपर परियोजना संचालक;
- (ध) “विनियम” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाए गए विनियम;
- (न) “नियम” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियम;
- (प) “राज्य” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;
- (फ) “विश्वविद्यालय” से अभिप्रेत है, राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य का कोई विश्वविद्यालय;
- (ब) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;
- (भ) “उपाध्यक्ष” से अभिप्रेत है, परिषद् का उपाध्यक्ष;

**परिषद् का गठन.**

३. (१) सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख को तथा से जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के नाम से एक परिषद् का गठन करेगी;

(२) (क) परिषद् एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगी तथा उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा.

(ख) परिषद् द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में, कार्यवाहियां सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित की जाएंगी और ऐसे वादों तथा कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं सदस्य सचिव को जारी और तामील की जाएंगी.

(३) परिषद् का मुख्यालय भोपाल में होगा.

**परिषद् की संरचना.**

४. (१) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों और पदाधिकारियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(एक) भारसाधक मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन;

— अध्यक्ष

(दो)	अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन;	— उपाध्यक्ष
(तीन)	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट लोक (राज्य निधिक) विश्वविद्यालयों (मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ द्वारा स्थापित) से दो आसीन कुलपति तथा राज्य में स्थापित निजी राज्य विश्वविद्यालयों में से एक कुलपति;	— सदस्य
(चार)	शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट छह शिक्षाविद् जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार आचार्यों के ही समतुल्य अर्हता और अनुभव रखते हों (जिनमें दो महिलाएं, एक अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जनजाति तथा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर से कम से कम दो शिक्षाविद् सम्मिलित हैं);	— सदस्य
(पांच)	भारत सरकार का नामनिर्देशिनी;	— पदेन सदस्य
(छह)	अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन;	— पदेन सदस्य
(सात)	आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन;	— पदेन सदस्य
(आठ)	संचालक, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, भोपाल;	— पदेन सदस्य
(नौ)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, दो शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों के प्राचार्य;	— सदस्य
(दस)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश के दो निजी स्वशासी महाविद्यालयों के प्राचार्य या संचालक;	— पदेन सदस्य
(ग्यारह)	परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मध्यप्रदेश शासन.	— सदस्य-सचिव

(२) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति अथवा नामनिर्देशन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए.

५. (१) सरकार द्वारा सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) की नियुक्ति या नामनिर्देशन सामान्यतः दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा और वे द्वितीय अवधि के लिए केवल दो वर्ष के लिये पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे. वे किसी भी सुविधा, जैसे आवास, वाहन इत्यादि के हकदार नहीं होंगे.

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें.

(२) सदस्य (किसी पदेन सदस्य से भिन्न) उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा प्रत्येक त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि सरकार द्वारा इसे स्वीकार किया जाए.

(३) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.

(४) नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले समस्त अशासकीय सदस्यों के लिये पात्रता की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि सरकार द्वारा विहित की जाएं.

परिषद् के सम्मेलन.

६. (१) परिषद्, ऐसे समय और स्थान पर उतनी बार, जितनी बार आवश्यक हो सम्मेलन करेगी और नियमों की ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जैसी की विहित की जाए, परन्तु एक वर्ष में कम से कम दो बार सम्मेलन करेगी.

(२) सम्मेलन की गणपूर्ति भरी हुई सदस्यता के एक तिहाई सदस्यों से होगी और सम्मेलन में विनिश्चय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किए जा सकेंगे.

परिषद् के कर्मचारिवृन्द.

७. राज्य परियोजना संचालनालय, परिषद् के लिए लिपिकीय सेवाओं का उपबंध करेगा.

परिषद् के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणीकरण.

८. परिषद् के समस्त आदेश और विनिश्चय सदस्य सचिव द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे.

परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.

९. (१) परिषद्, उच्च शिक्षा में पहुँच साम्यता तथा गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए नीति सुधारों के क्रियान्वयन हेतु दीर्घावधि उपायों पर शासन को अनुशंसा करेगी.

(२) परिषद्, शिक्षा में अविरत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) को प्राप्त करने हेतु दीर्घावधि उपायों पर शासन को अनुशंसा करेगी.

(३) परिषद्, राज्य में के विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं के प्रशासनिक सुधारों, शैक्षणिक और वित्तीय जवाबदेही के लिए उपाय सुझाएगी.

(४) परिषद्, राज्य में उच्च शिक्षा से संबंधित किसी मामले पर, सरकार द्वारा यथाअपेक्षित अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी.

परिषद् की निधि.

१०. परिषद् की अपनी स्वयं की निधि होगी, जिसमें सरकार तथा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान समाविष्ट होंगे, और ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, विधिवत लेखा रखा जाएगा.

वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा.

११. (१) परिषद् के लेखे ऐसी रीति में तथा ऐसे प्ररूप में संधारित किए जाएंगे जैसा कि विहित किया जाए.

(२) परिषद् ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में लेखों के वार्षिक विवरण तैयार करेगी, जैसी कि विहित की जाए.

(३) परिषद् के लेखे वर्ष में एक बार ऐसे संपरीक्षक द्वारा, जिसे कि सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, संपरीक्षित किए जाएंगे.

(४) परिषद् का सदस्य सचिव, वार्षिक संपरीक्षा रिपोर्ट मुद्रित करवाएगा और उसकी एक मुद्रित प्रति प्रत्येक सदस्य को भेजेगा और ऐसी रिपोर्ट विचारण के लिए परिषद् के समक्ष इसके अगले सम्मेलन में रखेगा.

(५) परिषद् किसी त्रुटि या अनियमितता, जो कि संपरीक्षा रिपोर्ट में सामने आए, के निवारण के लिए तुरंत समुचित कार्रवाई करेगी.

(६) संपरीक्षक द्वारा यथाप्रमाणित परिषद् के लेखे, संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, उस पर परिषद् की टिप्पणियों सहित ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, सरकार को प्रेषित किए जाएंगे.

(७) सरकार, उपधारा (६) के अधीन वार्षिक लेखे के साथ संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगा.

१२. (१) परिषद्, आगामी वर्ष के लिए प्राक्कलित पूंजी और राजस्व प्राप्तियां तथा व्यय की वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करेगी तथा ऐसी तारीख को या उसके पूर्व, जैसी कि विहित की जाए, शासन को प्रस्तुत करेगी.

वार्षिक वित्तीय विवरणी.

(२) उक्त विवरणी में परिषद् के सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां सम्मिलित होंगी, जैसी कि विहित की जाएं.

(३) परिषद्, उस वर्ष के दौरान किसी भी समय जिसके कि संबंध में उपधारा (१) के अधीन विवरणी प्रस्तुत की गई है, सरकार को एक पूरक विवरणी प्रस्तुत कर सकेगी और इस धारा के समस्त उपबंध ऐसी विवरणियों को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे उक्त उपधारा के अधीन ऐसी विवरणी को लागू होते.

१३. परिषद्, प्रत्येक वर्ष के लिए उस वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन इसके क्रियाकलापों का एक प्रतिवेदन तैयार करेगी और सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी.

वार्षिक प्रतिवेदन.

१४. सरकार को परिषद् के किसी भी क्रियाकलाप की जांच करने का अधिकार होगा और यदि कोई कमी पायी जाती है तो सरकार कमी को दूर करने के लिए निदेश देगी.

जांच.

१५. (१) कोई भी व्यक्ति नामनिर्देशन या परिषद् के सदस्य के रूप में निरन्तर बने रहने के लिए अर्ह नहीं होगा, यदि ऐसे नामनिर्देशन की तारीख को या उसके पश्चात्, किसी तारीख को, वह:—

निरहता.

(क) विकृतचित्त का है; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है या नैतिक अधमता से अंतर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए आपराधिक न्यायालय द्वारा दण्डादिष्ट किया गया है; या

(ग) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने भागीदार द्वारा उसके आदेश से किए गए किसी कार्य में या परिषद् की ओर से की गई किसी संविदा में कोई अंश या हित रखता है; या

(घ) कोई व्यक्ति जो अवचार या उपेक्षा के दोष के कारण किसी शासकीय या विश्वविद्यालय सेवा से पर्यवसित किया गया है.

(२) विवाद या संदेह की दशा में यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (१) के अधीन निरर्हित किया गया है तो सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा.

१६. (१) यदि परिषद् में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है या कोई अन्य सदस्य, (पदेन सदस्य से भिन्न) चाहे वह मृत्यु, त्यागपत्र या अस्वस्थता या किसी अन्य अक्षमता से या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों के निर्वहन में अक्षम हो जाता है तो ऐसी रिक्ति धारा ५ के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में सरकार द्वारा भरी जाएगी.

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमाम्य न होना.

(२) परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही, उसमें किसी रिक्ति या परिषद् के गठन में कोई त्रुटि के कारण अविधिमाम्य नहीं समझी जाएगी.

१७. इस अधिनियम के अधीन, सरकार राज्य की नीति तथा आवश्यकताओं के हित में परिषद् को यथोचित निदेश देने के लिए सशक्त होगी.

सरकार द्वारा निदेश.



- नियम बनाने की शक्ति. १८. सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के समस्त या उनमें से किसी प्रयोजन के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी.
- विनियम बनाने की शक्ति. १९. (१) परिषद्, परिषद् के सम्मिलन और उसमें कारबार के संचालन हेतु प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगी.
- (२) इस धारा के अधीन कोई भी विनियम, सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नहीं बनाया जाएगा.
- सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण. २०. परिषद् या परिषद् के किसी सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी ऐसी बात के संबंध में जो कि इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या जिसका इस प्रकार सद्भावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित रहा है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.
- कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति. २१. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो सरकार, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन से असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकेगी जो कि ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों.

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्र. 12533-255-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, २०१८ (क्रमांक २५ सन् २०१८) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## MADHYA PRADESH ACT

NO. 25 OF 2018

### THE MADHYA PRADESH RAJYA UCHCHA SHIKSHA PARISHAD ADHINIYAM, 2018

#### TABLE OF CONTENTS

#### Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Constitution of the Council.
4. Composition of the Council.
5. Terms and conditions of service of Chairperson, Vice-Chairperson and Members.
6. Meeting of the Council.
7. Staff of the Council.
8. Authentication of orders and decisions of the Council.
9. Powers and functions of the Council.
10. Fund of the Council.
11. Annual accounts and audit.
12. Annual financial statement.
13. Annual report.
14. Inquiry.
15. Disqualification.
16. Vacancies etc. not to invalidate proceedings.
17. Directions by the Government.
18. Power to make rules.
19. Power to make regulations.
20. Protection of action taken in good faith.
21. Power to remove difficulties.

MADHYA PRADESH ACT  
NO. 25 OF 2018

THE MADHYA PRADESH RAJYA UCHCHA SHIKSHA PARISHAD ADHINIYAM, 2018

[Received the assent of the Governor on the 23rd July, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 28th July, 2018.]

**An Act to provide for constitution of the Madhya Pradesh Rajya Uchha Shiksha Parishad to advise the Government in matters relating to Higher Education in the State and for matters connected therewith and incidental thereto.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Rajya Uchha Shiksha Parishad Adhiniyam, 2018.

**Short title,  
extent and  
commencement.**

(2) It shall extend to whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

**Definitions.**

- (a) "Abhiyan" means the Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan;
- (b) "Central Government" means the Government of India;
- (c) "Chairperson" means the Chairperson of the Madhya Pradesh Rajya Uchha Shiksha Parishad;
- (d) "college" means a college affiliated to or associated with or recognized by, any University in the State including engineering colleges, polytechnic colleges and all colleges established in the private sector under any department of Government of Madhya Pradesh;
- (e) "Council" means the Madhya Pradesh Rajya Uchha Shiksha Parishad constituted under section 3;
- (f) "degree" means a degree in arts, commerce, science, oriental languages, engineering, technology, law or any such other degree which is granted by any university of the State recognized by the University Grants Commission;
- (g) "department" means department of Government of Madhya Pradesh;
- (h) "diploma" means any course of study after tenth or twelfth class to which a diploma is awarded but does not include a certificate course;
- (i) "Directorate or Project Directorate" means the State Project Directorate established by the Higher Education Department, Government of Madhya Pradesh for implementation of Abhiyan;
- (j) "educational institution" means an academic institution of higher education and research;
- (k) "educationist" means working or retired Professors of University or Colleges, Principal of the College, Vice-Chancellor of the University or the Director of any national level institution who have made outstanding contribution in the field of education at national or international level;

- (l) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (m) "higher education" means every education above the twelfth class leading to a degree or diploma;
- (n) "Member" means a Member of the Council;
- (o) "notification" means a notification published in the Madhya Pradesh Gazette and the word 'notified' shall be construed accordingly;
- (p) "officer" means officer of Central or State Government;
- (q) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (r) "Project Director or Additional Project Director" means the State Project Director or Additional Project Director appointed by the Government for implementation of Abhiyan;
- (s) "regulations" means the regulations made by the Council under this Act;
- (t) "rules" means the rules made in exercise of the powers conferred by this Act;
- (u) "State" means the State of Madhya Pradesh;
- (v) "University" means any university in the State established by an Act of State Legislature;
- (w) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (No. 3 of 1956);
- (x) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson of the Council.

**Constitution of the Council.**

3. (1) The Government shall, by notification, with effect on and from such date as may be specified in this behalf, constitute a Council for the purpose of this Act to be called the Madhya Pradesh Rajya Uchha Shiksha Parishad.

- (2) (a) The Council shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and may sue and be sued in its corporate name.
- (b) In all suits and other legal proceedings by or against the Council, the proceedings shall be signed and verified by the Member Secretary and all processes in such suits and proceeding shall be issued to and served on the Member Secretary.
- (3) The headquarters of the Council shall be at Bhopal.

**Composition of the Council.**

4. The Council shall consist of the following members and office bearers namely:-

- |       |   |                  |
|-------|---|------------------|
| (i)   | Minister incharge Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh;   | Chairperson      |
| (ii)  | Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh;   | Vice-Chairperson |
| (iii) | two sitting Vice-Chancellors from public (State Funded universities (established by the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973) nominated by the Government and one Vice-Chancellor from among private State Universities established in the State; | Member           |

(iv)	six eminent educationist representing various fields of education (including two woman, one Scheduled Caste and one Scheduled Tribe and at least two from outside Madhya Pradesh) nominated by the State Government having qualification and experience equivalent to those of Professors as per University Grants Commission;	Members
(v)	Government of India nominee;	Ex-officio Member
(vi)	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Department of Technical Education and Skill Development , Government of Madhya Pradesh;	Ex-officio Member
(vii)	Commissioner, Higher Education, Government of Madhya Pradesh;	Ex-officio Member
(viii)	Director, College of Excellence, Bhopal;	Ex-officio Member.
(ix)	Principals from two Government autonomous colleges nominated by the Government;	Member
(x)	Principal or Director, from two private autonomous colleges from Madhya Pradesh nominated by the Government;	Ex-officio Member.
(xi)	Project Director, Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan, Government of Madhya Pradesh Department.	Member Secretary

(2) Every appointment or nomination under this section shall take effect from the date on which it is notified by the Government.

5. (1) The Members (others then ex-officio members) shall be appointed or nominated by the Government ordinarily for a term of two years and shall be eligible for reappointment for a second term only for two years. They shall not entitled for any facility like house, vehicle etc.

**Terms and conditions of service of Chairperson, Vice-Chairperson and Members.**

(2) The Member (other than an ex-officio Member) may resign his office in writing under his hand addressed to the Vice-Chairperson and every such resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the Government.

(3) In the absence of Chairperson, the Vice-Chairperson shall chair the meeting.

(4) For all non-official members to be nominated the eligibility condition shall be such as may be prescribed by the Government.

6.(1) The Council shall meet as often as may be necessary at such time and place and observe such rule of procedure as may be prescribed, but it shall meet at least twice in a year.

**Meeting of the Council.**

(2) The quorum for the meetings shall be one third of the filled up membership and decisions may be taken in the meetings by simple majority of those present and voting.

7. The State Project Directorate shall provide clerical services to the Council.

**Staff of the Council.**

8. All orders and decisions of the Council shall be authenticated by the Member Secretary.

**Authentication of orders and decisions of the Council.**

**Powers and functions of the Council.**

9. (1) The Council shall make recommendations to the Government on long term measures for implementation of policy reforms to improve accessibility, equity and quality in higher education.

(2) The council shall make recommendations to the Government on long term measures to achieve Sustainable Development Goal (SDG) for education.

(3) The council shall suggest measures for the administrative reforms, academic and financial accountability of the Universities and other institutions of higher education in the State.

(4) The council shall submit its recommendations on any matter related to higher education in the State as required by the Government.

**Fund of the Council.**

10. The Council shall have its own fund comprising the grants received from the Government and from any other source, duly accounted in such manner as may be prescribed.

**Annual accounts and audit.**

11.(1) The accounts of the Council shall be maintained in such manner and in such form as may be prescribed.

(2) The Council shall prepare an annual statement of accounts in such form and in such manner as may be prescribed.

(3) The accounts of the Council shall be audited once in a year by such auditor as the Government may appoint in this behalf.

(4) The Member Secretary to the Council shall cause the annual audit report to be printed and forward a printed copy thereof to each member and shall place such report before the Council for consideration at its next meeting.

(5) The Council shall take appropriate action forthwith for remedy of any defect or irregularity that may be pointed out in the audit report.

(6) The accounts of the Council as certified by the auditor together with the audit report along with the remarks of the Council thereon shall be forwarded to the Government within such time as may be prescribed.

(7) The Government shall, as soon as may be after the receipt of the annual accounts together with the audit report under sub-section (6), cause the same to be laid down before the State Legislative Assembly.

**Annual financial statement.**

12. (1) The Council shall prepare and submit an annual financial statement to the Government on or before such date as may be prescribed of the estimated capital and revenue receipts and expenditure for the ensuing year.

(2) The said statement shall include a statement of salaries and allowances of members, the Council and of such other particulars as may be prescribed.

(3) The Council may at any time during the year in respect of which a statement under sub-section (1) has been submitted, submit to the Government a supplementary statement, and all provisions of this section shall apply to such statements as they apply to such statement under the said sub-section.

**Annual report.**

13. The Council shall prepare for every year a report of its activities under this Act during that year and submit the report to the Government.

14. The Government has right to enquire into any activity of Council and if some lacuna are founds the Government shall give directives for the rectification of the lacuna. **Inquiry.**

15. (1) No person shall be qualified for nomination or to continue as a member of the Council, if on the date of such nomination or on any date thereafter, he is:—

- (a) of unsound mind; or
- (b) adjudicated as an un-discharged insolvent, or sentenced by a criminal court to imprisonment for any offence involving moral turpitude; or
- (c) directly or indirectly by himself or his partner has any share or interest in any work done by order of, or in any contract entered into on behalf of the Council; or
- (d) a person who has been terminated from any Government or University service for guilty of misconduct or negligence.

(2) In case of dispute or doubt as to whether a person is disqualified under sub-section (1), the decision of the Government shall be final.

16. (1) If a casual vacancy occurs in the Council or any other Member, (other than an exofficio Member) whether by reason of death, resignation or inability to discharge his functions owing to illness or other incapacity or for any other reason, such vacancy shall be filled by the Government in the manner specified under section 5. **Vacancies etc. not to invalidate proceedings.**

(2) No act or proceedings of the Council shall be deemed to be invalid by reason of any vacancy or any defect in the constitution of the Council.

17. Under this Act the Government shall be empowered to give suitable directives to the Council in the interest of State policy and requirements. **Directions by the Government.**

18. The Government may, by notification, make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act. **Power to make rules.**

19.(1) The Council may make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder, regulating the meeting of the Council and the procedure for conducting business thereat. **Power to make regulations.**

(2) No regulation shall be made under this section except with the previous approval of the Government.

20. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Council or any Member or officer or employee of the Council for anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of the provisions of this Act or any rules or regulations made thereunder. **Protection of action taken in good faith.**

21. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government, may by order, make such provision not inconsistent with the purpose of this Act, as appears to them to be necessary or expedient for removing the difficulty. **Power to remove difficulties.**